

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—एफ 2(19)2016 / कार्मिक / प्रमुवसं / 993
निमित्त,

दिनांक 24 मई, 2016

अधीक्षक,
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,
राजस्थान जयपुर।

विषय:— क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा, 2016 हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा, 2016 की विज्ञप्ति की हार्डकॉपी (टंकित प्रतिलिपि) एवं सॉफ्ट कॉपी (सी.डी.) संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि इसे राजस्थान राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कराकर उसकी एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करावे।

संलग्न :- विज्ञप्ति की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी।

भवदीय,

(डॉ. एस.एस.चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—एफ 2(19)2016 / कार्मिक / प्रमुवसं / 994 + 1005 दिनांक 24 मई, 2016

1. प्रतिलिपि मय विज्ञप्ति की प्रति के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि मय क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा, 2016 के कार्यक्रम की विज्ञप्ति व आवेदन पत्र के प्रपत्र की प्रतिलिपि सहित समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वे उनके अधीनस्थ कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय जिन्होंने क्षेत्रीय वन अधिकारी की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र की प्रति सम्मलाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पाबन्द करे कि वे क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा, 2016 में सम्मिलित होकर क्षेत्रीय वन अधिकारी की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें। उनके द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर उनके विरुद्ध राजस्थान नागरिक सेवा विभागीय परीक्षा नियम, 1959 के नियम 22 के अन्तर्गत कठोरता से कार्यवाही की जावेगी। संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में उनको स्थाईकरण व आगामी पदोन्नति से वंचित रखा जा सकता है, जिससे वे क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने उज्ज्वल भविष्य को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपके अधीन कार्यरत जिन क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनकी सूची भी इस कार्यालय को भिजवावे।

प्रायः यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा समय पर अपने कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन पत्र प्रेषित कर दिये जाते हैं परन्तु उनके आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समय पर परीक्षा अधीक्षक को अग्रेषित नहीं किये जाते हैं।

अतः वर्ष 2016 की विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्रीय वन अधिकारियों के आवेदन पत्र परीक्षा अधीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, एफ.टी.आई, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अंतिम तिथि 24.11.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की पुख्ता व्यवस्था करावे। दिनांक 24.11.2016 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार/स्वीकृत करने हेतु परीक्षा अधीक्षक बाध्य नहीं होंगे।

3. प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, एफ.टी.आई, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र।


(डॉ. एस.एस. चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान जयपुर

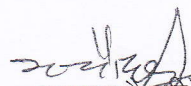
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:—एफ 2(19)2016 / कार्मिक / प्रमुवसं / **876** दिनांक 24 मई, 2016
विज्ञप्ति

राजस्थान नागरिक सेवायें (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के अनुसरण में समस्त संबंधित ग्राह्य क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा 2016 दिनांक 19.12.2016 से 23.12.2016 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी :—

क्र. सं.	परीक्षा दिनांक	समय	प्रश्न पत्र
1	19.12.2016	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	वन नियम (प्रथम प्रश्न पत्र)
2	20.12.2016	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	भू राजस्व प्रणाली (द्वितीय प्रश्न पत्र)
3	21.12.2016	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	विधि एवं लेखा (तृतीय प्रश्न पत्र)
4	22.12.2016	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	हिन्दी (चतुर्थ प्रश्न पत्र)
5	22.12.2016	मध्यान्ह 12.45 बजे से 1.15 बजे तक	हिन्दी श्रुतिलेख (चतुर्थ प्रश्न पत्र)
6	23.12.2016	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक	वन उपज की उपयोगिता (विशिष्ट तथा राजस्थान राज्य से संबंधित) (पांचवा प्रश्न पत्र)

सामाजिक सर्वेक्षण के छठे प्रश्न पत्र के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, एफ.टी.आई, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पृथक से व्यवस्था की जावेगी। विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम/द्वितीय श्रेणी के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, एफ.टी.आई, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर (अधीक्षक क्षेत्रीय की विभागीय परीक्षा) के पास दिनांक 24.11.2016 तक उनके नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से पहुँच जाने चाहिये।

क्षेत्रीय वन अधिकारियों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र में अपना मूल पदस्थापन अस्थाई नियुक्ति के पदों का उल्लेख तिथि सहित प्रस्तुत करें। उनके द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण किये गये प्रश्न पत्रों व जिस प्रश्न पत्र में नियमानुसार छूट चाहते हैं, उनका भी उल्लेख करें, ताकि राजस्थान नागरिक सेवायें (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 के नियम 8 के अनुसार पात्रता की जांच करने में सुविधा रहे।


 (डॉ. एस.एस. चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
 राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE REGISTRAR, DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR RANGERS
APPLICATION FORM FOR APPEARING AT THE DEPARTMENTAL EXAMINATION

- 1 Name of the applicant (in block letters) :
- 2 Father's Name :
- 3 Date of Birth :
- 4 Service to which he belongs (Please also indicate in brackets whether the applicants appointment to the service is on probation or in an officiating or substantive capacity) :
- 5 Designation and place of posting :
- 6 Whether the applicant had appeared at any departmental examination held under these rules before if so in which years and in which papers he had already passed. :
- 7 Registered No. at the last examination, if any. :
- 8 The name of the service or the departmental examination of which the applicant wishes to appear at the forth coming examination. :
- 9 Paper for which he wishes to appear : 1) 2)
3) 4)
5) 6)

Dated

(Signature & Designation of the applicant)

Full present posting

Address :

Dated

Signature attested and application forwarded to the Superintendent, Departmental Examination (Chief Conservator of Forests, Research and Training, Forestry Training Institute, Jaipur).

Signature of applicants Next
Superior officer/Designation.

OFFICE OF THE REGISTRAR, DEPARTMENTAL EXAMINATION
(Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur)

Registered No. Rool No. Shri

of is permitted to appear at the departmental examination to be held from
..... to reference to this should be given in all

Subodh/desktop/dcf to/letter june 2012